संख्या–562 ई–1/तेरह–2010–499 (2)/2008

प्रेषक,

नवल किशोर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0,इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल,, 2010

विषयः आबकारी विभाग के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–50/2/पी0एस0/सुदृढ़ीकरण/2010–11, दिनांक 08 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आबकारी विभाग के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्ट्राइकिंग फोर्स के लिये 58 वाहन तथा प्रत्येक जनपद हेतु 71 वाहन कांट्रेक्ट बेस पर लेने हेतु एवं स्ट्राइकिंग फोर्स हेतु 435 राइफल एवं कारतूस, जनपद के निरोधक क्षेत्रों हेतु 418 राइफल एवं कारतूस, ई0आई0बी0 के आबकारी सिपाहियों हेतु 48 राइफल एवं कारतूस, निरोधक क्षेत्र/स्ट्राइकिंग फोर्स/ई0आई0बी0 के आबकारी निरीक्षकों हेतु 347 रिवाल्वर, 1500 सी0यू0जी0 सेलुलर फोन, 101 लैण्ड लाइन टेलीफोन, 01 साइलेंट डी0जी0 सेट (100 के0वी0ए0), 93 साइलेंट डी0जी0 सेट (7.5 के0वी0ए0) के कय पर होने अनावर्तक व्यय रूपये 9,69,00,000/–(रूपये नौ करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) एवं छः माह हेतु आवर्तक व्यय रूपये 3,10,00,000/–(रूपये तीन करोड़ दस लाख मात्र) अर्थात् अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय हेतु कुल रूपये 12,79,00,000/–(रूपये बारह करोड़ उन्नासी लाख मात्र) की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(1) राज्य सम्प्रति विभाग द्वारा अनुबन्ध पर वाहन लिये जाने के जो नियम एवं शर्तें होती है, उन्हीं नियम एवं शर्तों के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा अनुबन्ध पर वाहन लिये जायेंगे।

(2) स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स के आबकारी सिपाहियों एवं प्रधान आबकारी सिपाहियों के लिए कय किये जाने वाली राइफल तथा निरोधक क्षेत्र स्ट्राइकिंग फोर्स एवं ई0आई0बी0 के आबकारी निरीक्षकों हेतु कय की जाने वाली रिवाल्वरों के सम्बन्ध में चूँकि यह नहीं अवगत कराया गया है कि कितने पदाधिकारियों को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा रिटेनर लाइसेंस प्राप्त हो चुका है एव इससे पूर्व रिवाल्वर और बन्दूकों के साथ दिये गये कारतूस जो पुलिस विभाग के संरक्षण में इस आशय से रखे गये थे कि जैसे–जैसे सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा आबकारी विभाग के पदाधिकारियों को रिटेनर लाइसेंस प्राप्त होते जायेगें, वैसे–वैसे असलहा आबकारी विभाग प्राप्त कर लेंगे। अतः पुलिस विभाग में जमा असलहों को आबकारी विभाग में वितरित करने के उपरान्त जितनी आवश्यकता होगी, उतने ही असलहे कय किये जायेंगे।

(3) सी0यू0जी0 सेल्युलर फोन कय करते समय वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के शासनादेश दिनांक 02–9–2008 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कय करने की कार्यवाही की जायेगी। सी0यू0जी0 सेल्युलर फोन की सुविधा लागू करने के साथ ही विभाग में 75 अधिकारियों को जो मोबाइल भत्ता रूपये–500/–प्रति माह दिया जा रहा है, वह तात्कालिक प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा।

(4) जनरेटर का कय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट के अनुसार ही किया जायेगा।

- - - 2

2— उक्त व्यय निम्नलिखित लेखाशीर्षकों/मानक मदों एवं उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार किया जायेगा।

व्यय का लेखाशीर्षक–वार विवरण	धनराशि (हजार रू0 में)
अनुदान संख्या–1	
राजस्व लेखाशीर्षक–	
2039– राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेतर	
001– निदेशन तथा प्रशासन	
03– अधीक्षण	
08– कार्यालय व्यय	12100
13– टेलीफोन पर व्यय	2800
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रौल आदि की खरीद	7000
42–अन्य व्यय	1700
05–भट्ठियां	
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8500
पूँजी लेखाशीर्षक	
4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	
00	
039–राज्य उत्पाद शुल्क	
03–आबकारी विभाग का सशक्तीकरण	
00	
26–मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	95800
योग– राजस्व लेखा	32100
योग– पूँजी लेखा	95800
कुल योग–	127900

3— चूँकि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में इस कार्य हेतु कोई व्यवस्था नहीं है और उक्त कार्य अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः रूपये 12,79,00,000/–(रूपये बारह करोड़ उन्नासी लाख मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप आहरित किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति आगामी अनुपूरक अनुदान के माध्यम से करा ली जायेगी।

4— प्रश्नगत व्यय प्रथमतः "8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि से विनियोग" तथा अन्ततः वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–1 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक "2039–राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेतर –001–निदेशन तथा प्रशासन–03 अधीक्षण" एवं 05–भट्ठियां की सुसंगत इकाइयों और पूँजीगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत 4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–00 –039–राज्य उत्पाद शुल्क– 03–आबकारी विभाग का सशक्तीकरण–00 –26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–9-212/दस–2010, दिनांक 26 अप्रैल, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नवल किशोर)
विशेष सचिव

----3

संख्या–सी0एफ0–02–ई–9–212/2010/13–2010–499 (2)/2008–दिनांक 26 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि महालेखाकार, लेखा रिपोर्ट ब्रान्च, उ0प्र0, इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(रंजन मिश्र)
उप सचिव।
वित्त विभाग

संख्या– 562 (2) ई–1/तेरह–2010–499 (2)/2008–दिनांक 27 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9 (तीन प्रतियों में)।
4– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1
5– समीक्षा अधिकारी, बजट।
6– गार्ड फाइल, आबकारी अनुभाग–1
7– कोषाधिकारी, इलाहाबाद

आज्ञा से

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।